

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

..... वनाम तटकीलदार, सीकर ग्रामीण
 श्रवण कुमार मु.नं. 42 वर्ष 2015
 किस्म मुकदमा उ.प.अ.धा. 136 वल

दिनांक	आज्ञा - पत्र
15/4/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थी द्वारा किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरुस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम बलरामपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 38 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि श्रवण कुमार पुत्र तुलसी देवी दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि श्रवण कुमार पुत्र रामेश्वर लाल है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि श्रवण कुमार पुत्र रामेश्वर लाल अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि श्रवण कुमार पुत्र तुलसी देवी के स्थान पर उक्त प्रविष्टि श्रवण कुमार पुत्र रामेश्वर लाल दुरुस्त किया जावे।"</p> <p>प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है।</p> <p>अतः वकील प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./26/1010 दिनांक 27.03.2026 से प्राप्त उक्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम बलरामपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 38 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि श्रवण कुमार पुत्र तुलसी देवी के स्थान पर उक्त प्रविष्टि श्रवण कुमार पुत्र रामेश्वर लाल दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./26/1010 दिनांक 27.03.2026 से प्राप्त रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हैं।</p>



उपखण्ड अधिकारी,
 धोद जिला सीकर
 उपखण्ड अधिकारी
 धोद जिला-सीकर